न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 58 / 2024

वादी :— आदूराम पुत्र श्री मंगलाराम, आयु 61 वर्ष, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम बीजासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. हालनिवास हिन्दुस्तान फैक्ट्री के सामने सोजत रोड, तहसील सोजत जिला पाली राज., डी 256, बिरला कॉलोनी पोरबन्दर गुजरात

बनाम

प्रतिवादी :— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती / शुद्धि

उपस्थिति:—वादीग की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. — सरकारी पेशेकार।

निर्णय **दिनांक:—** 07/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 203 रकबा 0.9708 हैक्टेयर (यानि 6 बीघा) आई हुई है, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। उक्त खसरे की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में खातेदार मंगलाराम, लिखमाराम पिसरान रतनाराम कौम कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिसमें मंगलाराम का 1/2 हिस्सा व लिखमाराम का 1/2 हिस्सा निहित व दर्ज था। खातेदार लिखमाराम द्वारा अपना निहित 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.08.1987 को वादी व वादी के भाई पुखाराम को बैचान किया। रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.08.1987 में लिपिकीय त्रुटिवश वादी के सही नाम आदूराम के स्थान पर अशुद्ध नाम आदाराम प्रलेख लेखक मोहनलाल कटारिया द्वारा लिख दिया गया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा निहित हुआ। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 410 में भी रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार वादी का अशुद्ध नाम आदाराम दर्ज किया गया तथा उक्त म्यूटेशन के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भी वादी का अशुद्ध नाम आदाराम दर्ज किया गया, जो प्रथम बार जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में दर्ज किया गया। सम्वत् 2050 से लेकर सम्वत् 2079 की जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम आदाराम ही दर्ज चला आ रहा है। इसके बाद चालु जमाबन्दी की खतौनी में हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश वादी का अशुद्ध नाम आदाराम के स्थान पर ओर अशुद्ध नाम अंणदाराम लिख दिया। वादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का सही नाम आदूराम है जिसके सम्बंध में वादी के निजी/सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, रहवासीय मकान का विद्युत बिल, बैक डायरी एस.बी.आई बैक शाखा पोरबन्दर की, पानी का बिल वाद पत्र के साथ पेश है। जिसमें वादी का सही नाम आदूराम दर्ज है। वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज में वादी का सही नाम आदूराम दर्ज होने से तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में वादी का अशुद्ध नाम अणदाराम दर्ज होने से वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं को प्राप्त नही कर पा रहा है। वादी अपने सरकारी व निजी दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम अणदाराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम आदूराम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी द्वारा चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम अणदाराम की जानकारी होने पर प्रतिवादी को वादी के अशुद्ध नाम अणदाराम के स्थान पर सही व शुद्ध नाम आदूराम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु प्रतिवादी सक्षम नही है अपितु माननीय न्यायालय समक्ष है। इसलिए वादी का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध नाम अणदाराम के स्थान पर वादी के उपरोक्त निजी व सरकारी दस्तावेज मे दर्ज सही व शुद्ध नाम आदूराम के अनुसार दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदार कमलीदेवी, पारसराम, मनोहर, रेखादेवी, लाडूदेवी, संतोषदेवी व सोनाराम को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में उपरोक्त सहखातेदार के दर्ज हिस्सों के सम्बंध में व उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है तथा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से उपरोक्त दर्ज अन्य सहखातेदारान के न तो हिस्से प्रभावित होंगे व न ही उनका नाम प्रभावित होगा। इसलिए प्रस्तुत वाद में उपरोक्त सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार नही है। इसलिए इन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.08.1987 को वादी द्वारा खरीद करने से, उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा में लिपिकीय त्रुटिवश प्रलेख लेखक मोहनलाल कटारिया द्वारा वादी का अशुद्ध नाम आदाराम लिखने से, रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसांर ही दर्ज म्यूटेशन संख्या 410 में भी वादी का अशुद्ध नाम आदाराम दर्ज किये जाने से, जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2069 तक में वादी का अशुद्ध नाम आदाराम दर्ज किये जाने से, चालु जमाबन्दी के खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश वादी का ओर अशुद्ध नाम अणदाराम दर्ज किया जाने से, उपरोक्त अशुद्धि की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा अपने सरकारी व निजी दस्तावेज में दर्ज सही व शुद्ध नाम आदूराम के अनुसार चालु जमाबन्दी में दुरूस्त किये जाने हेतु प्रतिवादी को निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने पर व इस हेतु माननीय न्यायालय ही सक्षम होने का कहने पर बमुकाम् ग्राम बीजासनी, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती के लिए होने से तथा विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः दावा पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 203 रकबा 0.9708 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादी के दर्ज अशुद्ध नाम अणदाराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के स्थानं पर शुद्ध नाम आदूराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार दुरूस्त/शुद्ध किये जाने की डिक्री/आदेश फरमावे। मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बीजासनी की सीमा में स्थित खसरा 203 रकबा 0.9708 हैक्टयर (यानि 6.00 बीघा) भूमि आई हुई है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम पहली बार खातेदार लिखमाराम द्वारा अपना निहित 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 19.08.1987 को करने पर वादी का 1/4 व अपने भाई पुखाराम का 1/4 दर्ज हुआ। जिसमें वादी का नाम आदाराम दर्ज हुआ। वादी द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, बिजली व पानी बिल व राशनकार्ड इत्यादि में नाम आदूराम दर्ज है। जमाबंदी चौसाला 2074 से 2077 तैयार करते समय लिपिकीय भूल से वादी का नाम आदाराम के स्थान पर अणदाराम दर्ज हुआ। वादी अपना नाम आदाराम व अण्दाराम के स्थान पर आदूराम करवाना चाहते है। पद सं. 5 से 7 का जवाब कानूनी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बीजासनी के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.9708 हैक्टयर के जमाबंदी वर्ष 2074 से 2077 में दर्ज प्रविष्टि अणदाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि आदूराम पुत्र मंगलाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र आदूराम पुत्र मंगलाराम का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खसरा नम्बर 203 ग्राम बींजासनी , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 खसरा नम्बर 203 ग्राम बींजासनी, प्रदर्श 3 आधार कार्ड वादी, प्रदर्श 4 बैंक डायरी वादी, प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 6 पैन कार्ड वादी, प्रदर्श 7 मकान का विद्युत बिल वादी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड आदूराम , प्रदर्श 2 पैन कार्ड आदूराम, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड आदूराम पुत्र मंगलाराम, प्रदर्श 4 बिजली का बिल आदूराम पुत्र मंगलराम, 5

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

एसबीआई बैंक की डायरी आदूराम, प्रदर्श 6 पानी का बिल आदूराम पुत्र मंगलाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम आदूराम पुत्र मंगलाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम आदाराम, अणदाराम पुत्र मंगलाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम आदूराम पुत्र मंगलाराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने आदाराम, अणदाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर आदूराम पुत्र मंगलाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बींजासनी के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.9708 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में आदाराम, अणदाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर आदूराम पुत्र मंगलाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– आदूराम पुत्र श्री मंगलाराम, आयु 61 वर्ष, जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम बीजासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. हालनिवास हिन्दुस्तान फैक्ट्री के सामने सोजत रोड़, तहसील सोजत जिला पाली राज.,. डी 256, बिरला कॉलोनी पोरबन्दर गुजरात

बनाम

प्रतिवादी :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती / शुद्धि

राजस्व वाद संख्या :– 58 / 2024

निर्णय **दिनांक** :– 07/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 4315 / 11 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में पारूदेवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर पार्वती देवी पुत्री बुधाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/03/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा